भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

कमरा सं. 101डी, (संकाय भवन)

दूरभाष सं. 0512-259-7327

निविदा संख्या - 12/2017-18

संस्थान के जलाशयों मे मत्स्य पालन एवं आखेट हेतु निविदा प्रपत्र

मेसर्स / श्री / श्रीमती ____________________

को निविदा प्रपत्र जारी किया

सम्पदा कार्यालय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

कमरा सं. 101**डी**, (**संकाय भवन**), **भा.प्रौ.सं**. **कानपुर दूरभाष सं**. 0512-259-7327

सं.: ई.ओ./सी.ई.एम.एम.सी./आई.आई.टी.का./2017-18/12/1025 दिनांक: 20.02.2018

सम्पदा अधिकारी, भा.प्रौ.सं. कानपुर, संचालक मण्डल की ओर से योग्य व्यक्तियों / ठेकेदारो से निम्नलिखित कार्य के लिये मुहरबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं.	विवरण	धरोहर राशि	अवधि
1.	संस्थान के **उत्तरी व दक्षिणी छोर पर स्थित दो-दो (कुल चार) जलाशयों** मे मत्स्य पालन एवं आखेट की नीलामी हेतु निविदा।	रु.40,000/-	3 वर्ष

* निविदा स्वीकृति की स्थिति मे निविदा की शर्त संख्या-3 के क्रम मे ± समायोजनीय।

निविदादाता द्वारा पूर्ण रूप से भरे गए मुहरबंद निविदा प्रपत्र को संस्थान के सम्पदा कार्यालय मे दिनांक 07.03.2018 को अपराह्न 02.50 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अर्थात दिनांक 07.03.2018 को अपराह्न 03.00 बजे कक्ष संख्या 101-बी, संकाय भवन, आई.आई.टी. कानपुर मे खोली जाएंगी। निविदादाता या अधिकृत प्रतिनिधि, निविदा समिति के समक्ष (मत्स्य पालन एवं आखेटन कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नो का संतोषजनक उत्तर देने के लिए) उपस्थित रहेंगे। तकनीकी रूप से योग्य निविदाओं की वित्तीय बोलियाँ 08.03.2018 को दोपहर 12.00 बजे खोली जाएंगी।

तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली (अनुलग्नक-1) को पृथक-पृथक लिफाफे में रखा जाना चाहिए। वित्तीय बोली वाले लिफाफे के ऊपर "जलाशयो मे मछली पालन तथा आखेटन के लिए वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए। यदि तकनीकी और वित्तीय बोली एक ही लिफाफे में पाये गए तो उस निविदा को खारिज कर दिया जायगा।

निविदा प्रपत्र संस्थान के सम्पदा कार्यालय से दिनांक 07.03.2018 को अपराह्न 01.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र संस्थान की वैबसाइट www.iitk.ac.in/estateoffice से भी डाऊनलोड किया जा सकता है।

संस्थान को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार है।

प्रभारी (सम्पदा कार्यालय)

पात्रता संबंधी शर्तें:

1. निविदाकार पिछले तीन वर्षों से यह कार्य कर रहा हो।
2. जलाशयो मे मछली पालन और आखेटन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए निविदादाता की वित्तीय स्थिति बेहतर होनी चाहिए। बेहतर वित्तीय स्थिति वाले निविदादाता को वरीयता दी जाएगी।

निविदा संबन्धित अनिवार्य संलग्नक:

1. आधार कार्ड की प्रति
2. अनुभव प्रमाणपत्र
3. आयकर पंजीकरण प्रमाणपत्र / PAN नंबर
4. पिछले एक साल का बैंक विवरण
5. फ़र्म / कंपनी की दशा मे पंजीकरण प्रमाणपत्र
6. अन्य वैधानिक पंजीकरण / लाइसेन्स, यदि कोई हो

निविदा की नियम एवं शर्तें

आवंटन तिथि से तीन वर्ष के लिए संस्थान के जलाशय मे मत्स्य पालन एवं आखेट की नीलामी हेतु निविदा की निम्नलिखित नियम व शर्ते लागू होंगी।

1. संविदा की अवधि तीन वर्ष की होगी। प्रथम वर्ष की बोली को आधार मानते हुये आगामी वर्ष की धनराशि मे 10% की बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष की जाएगी।
2. उच्चतम वित्तीय बोली वाले निविदाकार को निविदा आवंटित होने के पश्चात प्रथम वर्ष की अनुज्ञप्ति राशि का 50% एक माह मे जमा करना होगा तथा उस वर्ष की शेष राशि अर्थात 50% निविदा स्वीकृति के छः माह के अंदर जमा करना होगा। ठेकेदार को द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष तक के वार्षिक अनुज्ञप्ति राशि का 25% भाग 30 जून तक, 25% भाग 30 सितम्बर तक तथा शेष 50%, 31 दिसंबर तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार उपरोक्त निर्धारित समय मे किस्तों की अदायगी नहीं करता है तो संविदा समाप्त कर पुनः निविदा निकाली जाएगी।
3. स्वीकृत निविदाकार को तीन वर्षो की कुल अनुमानित धनराशि का 10% बतौर जमानत राशि निविदा स्वीकृति के 15 दिन के अंदर बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. के रूप मे जमा करनी होगी। बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. किसी अनुसूचित बैंक से ‘‘रजिस्ट्रार, आई. आई.टी. कानपुर, के नाम से बनवाना होगा।
4. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी, उसे 15 दिन के अंदर रु. 100/- के स्टांप पेपर पर अनुबंध भरना होगा अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई समस्त राशि जब्त कर ली जाएगी। विभाग अन्य व्यक्ति को इस दशा मे ठेका देने अथवा जलाशय को पुनः निविदा करने हेतु स्वतंत्र होगा। स्टांप आदि का व्यय ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।
5. अनुज्ञप्ति धारक या उसके द्वारा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि को सप्ताह के सभी दिनो मे प्रातः 8.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक कैम्पस मे प्रवेश करने की अनुमति होगी। अनुज्ञप्ति धारक अथवा उसके प्रतिनिधि को कैम्पस क्षेत्र मे उपरोक्त समय के उपरांत रुकने का कोई अधिकार नहीं होगा।
6. संस्थान के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
7. अनुज्ञप्ति धारक द्वारा यदि नियम व शर्तो के उलंघन का दोषी पाया जाता है तो अनुज्ञप्ति धारक द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और संस्थान को अधिकार होगा की वह किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति पत्र प्रदान कर दे।
8. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा कानपुर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित होगा।

9. निविदा की दरो को अंको एवं शब्दो मे साफ-साफ लिखना अनिवार्य है।

10. निविदादाता उपरोक्त सभी नियम व शर्तों को ध्यान मे रखकर निविदा भरेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं अपूर्ण निविदा के लिए संस्थान प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा। निविदादाता इस व्यवहारिक त्रुटि के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

11. अवयस्क व्यक्ति निविदा देने का पात्र नहीं होगा एवं ऐसी सभी निविदाएँ प्रारम्भ से ही अमान्य होंगी तथा ऐसी अवस्था मे धरोहर राशि पूर्णरूप से जब्त कर ली जाएंगी।

12. निविदा मे जो निविदादाता उच्चतम धनराशि कोट करेगा निविदा उसी के पक्ष मे स्वीकार की जाएगी।

13. अनुज्ञप्ति धारक जिन आखेटकों को अपनी तरफ से मजदूरी पर रखेगा उनको आखेटन करने का आज्ञा-पत्र संस्थान द्वारा प्राप्त करना होगा। इस आज्ञा-पत्र का निरीक्षण संस्थान के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

14. अनुज्ञप्ति धारक को स्वयं अथवा उसके कर्मचारियों के आने-जाने, खाने-पीने आदि का प्रबंध स्वयं करना होगा। आखेटको के कथित बेकार रहने की स्थिति मे संस्थान की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

15. अनुज्ञप्ति धारक को प्रतिदिन निकली गयी मछली निर्धारित स्थल पर ही रखनी होगी तथा शाम 7.00 बजे से पहले परिसर से बाहर ले जाना अनिवार्य होगा। जलाशयों से निकली गई मछलियों का संस्थान के अधिकारियों को निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. संस्थान से अनुज्ञापत्र प्राप्त होने के बाद ही मत्स्य पालन व आखेटन की अनुमति होगी।

17. अनुज्ञप्ति धारक अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्ति धारक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा यदि संस्थान को किसी प्रकार की क्षति होती है तो संविदा निरस्त कर दिया जाएगा एवं सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

18. ऐसी मछलियाँ व प्रजातियाँ जो भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित है के बीज जलाशय मे संचित नहीं किया जायगा।

19. संस्थान के अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य के संबंध मे जो आदेश दिये जाएंगे वे अनुज्ञप्ति धारक को मान्य होगा।

20. अनुज्ञप्ति धारक ऐसा कोई भी पदार्थ जलाशय मे नहीं डालेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति / कर्मचारी को डालने की अनुमति देगा जिससे की पानी दूषित होने अथवा मछलियो के मरने की संभावना हो। अनुज्ञप्ति धारक को जलाशय के आसपास की जगह को साफ सुथरी रखनी होगी।

21. संस्थान द्वारा जलाशय में प्रयोगिक / शोध करने मे अनुज्ञप्ति धारक को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रयोगिक / शोध कार्य के उपरांत इस्तेमाल मछलियों को अनुज्ञप्ति धारक को दे दी जाएगी।

22. यदि किसी निविदादाता को निविदा आवंटित करने के तदुपरान्त संस्थान के संज्ञान मे यह आता है की संबन्धित ठेकेदार पात्रता से संबन्धित शर्तो को पूरा नहीं करता है तो आवंटित निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के साथ ही सम्पूर्ण जमा धरोहर राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा।

23. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

24. निविदाकार को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

25. निविदा के संबंध मे संस्थान निदेशक का निर्णय सभी निविदादाताओं को समान रूप से मान्य होगी।

26. उपरोक्त सभी नियम व शर्ते अनुबंध की अंग समझी जाएंगी।

प्रभारी (सम्पदा कार्यालय)

मैंने उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें पढ़ ली है तथा यह सभी शर्तें जिसमे निविदा की अस्वीकृति भी सम्मिलित है पूर्णरूप से मान्य है।

निविदादाता का पूरा नाम: ______________________________

निविदादाता का पूरा पता: ______________________________

____

____

मोबाइल नं.: ______________________________

निविदादाता को छायाप्रति

मैं धरोहर राशि के रूप मे रु.____________ का बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. / टी.डी.आर. संलग्न करता हूँ।

बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. / टी.डी.आर. नंबर: ______________________

जारीकर्ता बैंक का नाम: ______________________

जारी करने की तारीख: ______________________

____

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का पूरा नाम ________________________

अनुलग्नक -1

(एक अलग लिफाफे में बंद किया जाय)

वित्तीय बोली (Financial Bid)

प्रभारी
सम्पदा कार्यालय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
कल्याणपुर, कानपुर - 208016

विषय: संस्थान के उत्तरी व दक्षिणी छोर पर स्थित दो-दो (कुल चार) जलाशयो मे मत्स्य पालन एवं आखेट का ठेका के संबंध में।

महोदय,

मैंने आपकी निविदा सं.: ई.ओ./सी.ई.एम.एम.सी./आई.आई.टी.का./2017-18/12/1025 दिनांक 20.02.2018 के संबंध मे अपनी निविदा आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ तथा निविदा की धनराशि जो संस्थान के **उत्तरी व दक्षिणी छोर पर स्थित दो-दो (कुल चार) जलाशयों** मे मत्स्य पालन एवं आखेट के लिए देना चाहते है निम्नलिखित है:

अंको मे रु.____

शब्दो मे रु. ____

दिनांक:____________

____

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का पूरा नाम, पता व मोबाइल नंबर

____

____

____